न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 91/2017 **दायरा दिनांक : 10.07.2017**

उनवान

रघुनाथ सिंह आत्मज हरी सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— उमराव सिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— प्रेम बाई आत्मज रघुनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल एवं श्री वीरेन्द्र सोनगारा

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 47/प्रार्थना पत्र/2016 निर्णय दिनांक 30.11.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी ग्राम चन्द्रपुरा की खसरा नम्बर 102/1 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 102/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 100 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 102/1 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट के खातेदारी व कब्जे की आराजी है एवं खसरा नम्बर 102/2 रकबा 2 बीघा 15 बिसवा आराजी रेस्पोडेंट के कब्जे व खाते की है । जो प्रस्तुत रेकार्ड व जमाबंदी से साबित था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कानूनन रेकार्डेड व काबिज खातेदार को आराजी के रहन, बेचान या किसी भी तरह हस्तान्तरण करने से नहीं रोका जा सकता है परन्तु इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के विवादित मामले में एक तरफा कार्यवाही करने में त्रुटि की है जबकि दावे की कार्यवाही में अपीलांट ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर रखा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 अपास्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमाया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.05.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा